FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना

लेखली/यादव बनाम सुरेन्द्र वगै०

मुकदमा दावा नं0 144 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	18.6.25 आज यह वाद पत्र पेश किया दर्ज रजि० हो प्रतिवादीगण को नोटिस समन जारी हो बाद तामील दिनांक 18.6.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)	
18-6-25	आज यह पत्रावली पेश हुई वादी के वकील उपस्थित है [illegible] का समय चाहते है। पत्रावली वास्ते रजि. तामील दिनाँक 30.7.25 को पेश है। [signature] **उपखण्ड अधिकारी** नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)	
30-7-25	आज पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी के वकील अनुपस्थित। पत्रावली में आवाज दिलवाई गई। लेकिन कोई भी उप० नहीं आया। इससे प्रतीत होता है कि वादी वाद चलाना नहीं चाहते है। अतः वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रा० लगातार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद दुरुस्ती दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

तेखी पुत्र अविनाश जरिये सरपरस्त मनीषा पत्नी श्री अविनाश जाति अहीर निवासी माजरा तह0 मॉढण

बनाम

सुरेन्द्र पुत्र लालचन्द जाति अहीर निवासी माजरा तह0 मॉढण

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट मु0न0/34/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	12.05.25 आज यह प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीया के वकील उपस्थित। प्रार्थीया वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1150,1220,172,850,1019,1263,1265,979,980,985,993 ,994,995,977,986,987 वाके ग्राम माजरा तह0 मॉढण जिला कोटपूतली–बहरोड. (राजस्थान) में प्रार्थीया के हिस्से तक की विवादित भूमि को विक्रय नही करें। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला वाद सम्पुष्ठ कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 नोटिस तलवाना से तलब हो। प्रार्थीगण रजि0 तलवाना पेश करे। प्रार्थीगण यदि आगामी तिथि से पूर्व रजि0 नोटिस तलबाना पेश करने में विफल रहता है तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा। पत्रावली वास्ते रजि0 तलबी दि0 18.06.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) 18-6-25 आज यह पत्रावली पेश हुई प्रार्थी ... के वकील उपस्थित है ... तलबी ... का समय चाहते है। पत्रावली वास्ते ... रजि. तलबी दिनांक ... 30.7.25 ... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30-7-95	आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में मूल वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज हो चुका है। अतः प्रार्थनापत्र इसी स्टेज पर अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। संलग्न मूल वाद रहे। [signature] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

श्री राजपाल एडवोकेट
दिनांक 12/5/25
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली–बहरोड)

सेवामें,

न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, नीमराना, जिला– कोटपुतली–बहरोड, राजस्थान।

प्रार्थना पत्र सं0– 134 / 2025
12-5-25

1. लेखी यादव उम्र 7 साल पुत्री अविनाश यादव नाबालिग जरिये सरपरस्त मनीषा यादव पत्नी श्री अविनाश यादव जाति– अहीर निवासी– माजरा, तह0– मांढण, जिला– कोटपुतली–बहरोड, राजस्थान।

– प्रार्थी

// बनाम //

1. सुरेन्द्र पुत्र लालचन्द जाति– अहीर, निवासी– माजरा, तह0– मांढण, जिला– कोटपुतली–बहरोड, राजस्थान।
2. उप पंजीयक कार्यालय नीमराना, तह0– नीमराना, जिला– कोटपुतली–बहरोड राजस्थान।
3. लैण्ड होल्डर जरिये भूमिधारी तहसीलदार कार्यालय नीमराना जिला– कोटपुतली–बहरोड राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

दावा इस्तकरार हक एवं हूक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा– 88, 89, 188, 189 आर.टी.ए.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 रा.का.अ.

श्रीमान्जी,

वादपत्र निम्नलिखित श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत है :–

1. यह है कि उपरोक्त अुनवान का दावा विस्तृत वजुहात के साथ आज ही न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश किया जा रहा हैं जिसमें प्रार्थी को कामयाबी मिलने की पुरी पुरी संभावना है। प्रार्थना पत्र का दावा का अंश समझकर साथ पढ़ा जावें।
2. यह है कि आराजी खसरा नं0– 1150 रकबा 0.76 है0, 1220 रकबा 0.05 है0, 172 रकबा 0.77 है0, 850 रकबा 0.34 है0, 1019 रकबा 0.

मनीषा यादव